

Supaligad - Chamoti

रांगां: ७२७/४-१९/१(६२)/२०१८

प्रेषक, गुग्गाप चन्द्र, अपर सविता, राजतराणीष्ठ शासन।

**रोपां गी.**  
अपर प्रापुरु नन संरक्षका परां नोडल अधिकारी,  
गन संरक्षण, पारेस्ट फालोनी,  
इन्द्रिया नार, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुग्रह-4

**विषय:** जनपद चगोली के अन्तर्गत कैल नदी पर 90 ग्रीड स्पान के सुपलीगाड़ झूलापुल विधि का उपर्युक्त विवरण।

देहरादूनः दिनांकः २९ नवम्बर, २०१८

१८५

1. यन गूणि की वर्तमान वैधानिक विधति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
  2. प्रयोगता एजेन्सी उनका गूणि वा उपयोग लोकल क्षेत्रिक प्रयोगन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त गूणि अथवा उसकी
  3. गिरी गाए गो किरी अन्य विभाग, संरक्षा विधान व्यविधियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
  4. प्रयोगता एजेन्सी वो अधिकारी/कानूनी विधान टेक्नोवर या उत्तर व्यविधियों के अधीन या उनसे राष्ट्रियधित कांड़ी गी व्यविधि हारा किरी वी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति पहुँचाई जाती है, तो उक्ते लिए सामाजिक प्रगारीय गताधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अनिंता एवं प्रयोगता एजेन्सी पर वाच्यकारी होगा, प्रयांगता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
  5. उक्त यन गूणि प्रयोगता एजेन्सी वो उपयोग में तथ तक वनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी वो उत्तरानी उक्त यन गूणि प्रयोगता एजेन्सी को उक्त गूणि अथवा उसके विसी गाए की उक्त प्रयोगन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोगता एजेन्सी को उक्त गूणि अथवा उसके विसी गाए वो उक्त गूणि वा ऐसा गाए, जो प्रयोगता एजेन्सी के लिए आवश्यकता न रहेगी, तो व्याख्यातिः उत्तरा गूणि अथवा उक्त गूणि वा ऐसा गाए, जो प्रयोगता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, गूल विगाग को विना विसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
  6. वन विगाग तथा उत्तरान अधिकारी वी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
  7. वन विगाग तथा उत्तरान अधिकारी वी साय जब वे आवश्यक सगाँ, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने वे उत्तरान विशेषण करने वा अधिकार होगा।
  8. प्रयोगता एजेन्सी वो व्यय पर वन विगाग द्वारा प्रस्तावित पॉलिटेक्निक, के दोनों ओर रिक्त पड़े रथानां पर प्रयोगता एजेन्सी वो व्यय पर वन विगाग द्वारा क्षतिपूरण वृक्षारोपण के अन्तर्गत व्यथाभित गृहों का वृक्षासंभाल परां
  9. 10 गाँ तक उनवा रखायाव किया जायेगा।
  10. 10 उच्चाना न्यायालय/गारत राकार द्वारा यदि विविध में एन०पी०वी० वी गतिगान दरां गे वृद्धि वी जाती है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी वो द्वारा एन०पी०वी० वी गढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को व्यापासगय किया जायेगा व देय धनराशि को (ad-hoc CAMP) कोप को रथान्तरित किया जायेगा।
  11. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य वन की संरक्षित विधियों एवं गू-वैज्ञानिक के सुझावों वा काडाइ रो अनुपालन किया जायेगा।
  12. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना वा निर्णय एवं तदोपरान्त रखा-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र वी वनरपतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
  13. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा परियोजना निर्णय में कार्यरत गजदूरों/रसाफ को रसोई गैस/किरोरिन तंत्र वी आपूर्ति वी जायेगी, जिससे निकटर्वती वनों पर जैविक दबाव वो कम किया जा सके।
  14. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित रथल/वन क्षेत्र के आस-पास भजदूरों/रसाफ के लिए विसी प्रकार वा वी नहीं संग्राह्य जायेगा।
  15. प्रयोगता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित यन गूणि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से राझक निर्णय भिन्डी/पठार काटने एवं गर्ने वा कार्य नहीं किया जायेगा।

**NARESH CHAMOLI**  
Environment Expert  
**FPIU PWD (U-PREPARE)**  
Dehradun

AI  
S.E P.W.D

- प्रबन्ध
15. प्रयोक्ता एजेन्सी के, व्याय पर गह डिस्पोजल का कार्य प्रत्युत नी गयी योजना को अनुरूप वन विगाग की देख-रेख गें किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्तरार्थि गतवे का निरतारण विभिन्न रथलों पर ही किया जायेगा एवं उत्तरार्थि गतवे को किसी गी दशा गें पहाड़ों के ढलान रो नीचे/नामी गें निरुद्धारित नहीं किया जायेगा।
  16. निर्गाण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
  17. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा एन०पी०वी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण, गलवा निरतारण एवं गार्फ के दोनों ओर रित पड़े रथानों पर वृक्षारोपण हेतु जगा की गयी धनराशि को भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन गंत्रालय के स्तर पर गठित तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रताध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को रथानान्तरित कर दिया गया है।
  18. यदि कोई अन्य संघर्षित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रत्यावर्त वन भूमि के संरक्षण होते हैं तो उनके अधीन सकारात्मक प्राधिकारी गी अनुगति लेना प्रयोक्ता एजेन्सी का उत्तराधित होगा।
  19. ऐसी अन्य कोई गी शर्त जो कि भारत सरकार गविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों/वन भूमि के संरक्षण हेतु आवश्यक सगझें।
  20. प्रयोक्ता अभिकरण वन विगाग की देख-रेख गें प्रत्यावर्तित गूपि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing अंकित किया जाय।
  21. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्त वन निहित किसी गी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की रिधति गें भारत सरकार द्वारा स्वीकृति को निरत करने का अधिकार सुरक्षित है।
  2. तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

गेवदीय,  
मुख्य  
(सुनाय प्रन्द)  
अपर सचिव।

संख्या: (1) / X-4-19/1(62)/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

1. निजी सचिव, गा० विधायक, संघर्षित विठ्ठला क्षेत्र।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन गंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुगाप रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. गहलेखाकार, लेखा एवं हककारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, जनपद-चमोली।
6. प्रगाणीय वनाधिकार, यदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
7. अधिशासी अगियन्ता, निर्गाण खण्ड, लोक निर्गाण विभाग, थराली।
8. जिला पंचायत अध्यक्ष, चमोली।
9. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड राधिकारण परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेपित कि कृपया इस शासनादेश को एन०पी०वी० गी गेवदार्ट पर आपतोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा रो,

X.C.S  
NAresh Chamoli  
Environment Expert  
FNU PWD (U-PREPARE)  
Dehradun

J.S.P.W.D

(सत्यप्रकाश सिंह)  
उप सचिव।

संख्या: 276 / X-4-18 / 1(62) / 2018

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

मान्य

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 20 फरवरी, 2018

विषय: जनपद-चमोली के अंतर्गत केल. नदी पर 90 मी० स्पान के सुपालीगाड़ झूलापुल के निर्माण हेतु 0.11 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2953/FP/UK/ROAD/29687/2017, दिनांक 23.02.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-चमोली के अंतर्गत केल नदी पर 90 मी० स्पान के सुपालीगाड़ झूलापुल के निर्माण हेतु 0.11 हेठो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ०न०-११-०९/ ९८-एफ० सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-


- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आश्य का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-५६६ एवं भारत सरकार पत्र सं०५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियों की धनराशि का आंकलन प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त कर ऑन-लाईन अपलोड करेगा जिसे नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन सत्यापित करने के पश्चात प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकारण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक में ऑन-लाईन प्रक्रिया से प्राप्त चालान के अनुसार जमा करेगा। तत्पश्चात म्यूटेशन विवरण अपलोड किया जायेगा। जिसकी पुष्टि नोडल अधिकारी द्वारा ऑन-लाईन जायेगा। तत्पश्चात प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित

८६६

NARESH CHAMOLI  
Environment Expert  
FNU PWD (U-PREPARED)  
Dehradun

१५.१.१५.१


- शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित ऑन-लाइन अपलोड करेगा। जिसे प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी के माध्यम से विधिवत रखीकृति हेतु राज्य सरकार को ऑन-लाइन/हार्ड कॉपी प्रेषित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की रिप्टिंग में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा रखीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
  7. प्रस्तावक विभाग/एजेंसी द्वारा वन अधिकार अधिनियम-2006 में निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
  8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत रखीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,  
  
 (सुभाष चन्द्र)  
 अपर सचिव।

संख्या: 276 (1) / X-4-18 / 1(62) / 2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्ता, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली, चमोली।
7. गार्ड फाईल।

आङ्गा स.  
  
 (सत्यप्रकाश सिंह)  
 उप सचिव।

AECL  
**NARESH CHAMOLI**  
 Environment Expert  
 FPIU PWD (U-PREPARE)  
 Dehradun

J.E  
 P.W.D